संख्या–4/1/2002/का–2/2012

प्रेषक,

**राजीव कुमार,**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव**, उत्तर प्रदेश शासन।
2. **समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष**, उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी**, उत्तर प्रदेश।

**कार्मिक अनुभाग–2**

लखनऊ, दिनांक : 08 मई, 2012

विषय :– पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाना।

---

महोदय,

आप अवगत होंगे कि शासनादेश संख्या–65/2/69–रा.एकी., दिनांक 08.03.1973 द्वारा "श्रेष्ठता" के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के समस्त मामलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 18% और 02% का आरक्षण प्रदान किया गया था।

2– शासनादेश संख्या–15/5/1973–रा.एकी., दिनांक 20.03.1974 के माध्यम से यह आदेश प्रसारित किये गये कि "अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में भी उक्त जातियों के लिए क्रमशः 18% तथा 02% का आरक्षण रहेगा। यह आरक्षण केवल ऐसी सेवाओं/ पदों में होगा, जिसमें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था 50% से अधिक न हो।

3– शासनादेश संख्या–15/5/1973–रा.एकी., दिनांक 27.12.1974 के माध्यम से सम्यक् विचारोपरान्त पदोन्नति में आरक्षण की अनुमन्यता हेतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 50% से अधिक न होने की शर्त हटा दी गयी।

4– "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994" की धारा–3(7) के माध्यम से यह व्यवस्था की गयी कि *"यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के*

*लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे, जब तक उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाए"।*

5– शासनादेश संख्या–13/34/90(1)/कार्मिक–1/1994, दिनांक 10.10.1994 द्वारा पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लिए अनुमन्य 18% के आरक्षण को बढ़ाकर 21% कर दिया गया।

6– शासनादेश संख्या–4/1/2001/का–2–2002, दिनांक 25.06.2002 के माध्यम से पदोन्नति में आरक्षण नीति को लागू करने के लिए रोस्टर की व्यवस्था की गयी। शासनादेश में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों के लिए 21% तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 02% आरक्षण अनुमन्य होने का भी उल्लेख है।

7– पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पश्चात् पारिणामिक ज्येष्ठता भी प्रदान करने के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2007" दिनांक 14.09.2007 जारी की गयी। पारिणामिक ज्येष्ठता एवं पदोन्नति में आरक्षण तथा पृथक–पृथक पात्रता सूचियों के निर्माण की व्यवस्था को चुनौती देते हुए मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका संख्या–1389(एस.बी.)/2007 प्रेम कुमार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दायर की गयी। रिट याचिका के सन्दर्भ में अन्तिम सुनवाई करते हुए मा. न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2011 को पारित आदेश द्वारा अन्य के साथ–साथ पदोन्नतियों मे आरक्षण की व्यवस्था को असंवैधानिक पाते हुए इसे निरस्त कर दिया गया।

मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त निर्णय/ आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा. सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–4030/2011 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम प्रेम कुमार सिंह व अन्य योजित की गयी। सम्पूर्ण प्रकरण पर विस्तृत सुनवाई के पश्चात् मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 27.04.2012 को अन्तिम आदेश पारित किया गया है। इसके मुख्य अंश निम्न हैं :–

"In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter to the dictum in M. Nagaraj (Supra). Any promotion that has been

given on the dictum of Indira Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section-3(7) and rule 8A shall remain undisturbed."

8– उपर्युक्त अंकित समस्त तथ्यों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति में आरक्षण के सन्दर्भ में निर्गत समस्त शासनादेशों/रोस्टर को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया लिये गये निर्णय का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित् करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी तद्नुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( **राजीव कुमार** )
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–4/1/2002(1)/का–2/2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे शासनादेश की व्यवस्था से अपने समस्त अधीनस्थों को भी अवगत करा दें :–

1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
3) सचिव, लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
4) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5) समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ।
6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

( **राजीव कुमार** )
प्रमुख सचिव।